

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 896 /2021 दिनांक 20.04.2021

श्री मदन गोपाल आर्य (RJ0336), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, हनुमानगढ़ को दिनांक 22.03.2021 से 26.03.2021 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 21.03.2021 एवं 27.03.2021 से 29.03.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री आर्य की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, हनुमानगढ़ ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, हनुमानगढ़ के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

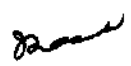

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 19.04.2021

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/40/2000/2505

दिनांक 20.04.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, हनुमानगढ़ को उनके पत्रांक 65 दिनांक 30.03.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्री मदन गोपाल आर्य (RJ0336), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, हनुमानगढ़।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, हनुमानगढ़।


सहायक रजिस्ट्रार